प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम: माननीय श्री टी.पी.शर्मा एवं

माननीय श्री आर.एल.झंवर, न्यायमूर्तिगण।

दांडिक अपील क्र. 567/2004

बेलवंती

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचार हेतु निर्णय

सही/-
टी.पी.शर्मा
न्यायाधीश
2-2-2010

माननीय श्री आर.एल.झंवर, न्यायमूर्ति.

सही/-
आर.एल.झंवर
न्यायाधीश

निर्णय हेतु सूचीबद्ध किया जाए– दिनांक 2-2-2010

सही/-
टी.पी.शर्मा
न्यायाधीश
2-2-2010

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

कोरम: माननीय श्री टी.पी.शर्मा एवं

माननीय श्री आर.एल.झंवर, न्यायमूर्तिगण।

दांडिक अपील क्र. 567/2004

<u>अपीलार्थी</u> बेलवंती पति स्व सरजू चामर उम्र 20 वर्ष,

(अभिरक्षा में) निवासी- गाँव बटवाही खुत्रपरा पुलिस थाना अंबिकापुर जिला सरगुजा (छत्तीसगढ़)

बनाम

<u>उत्तरवादी</u> छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा थाना प्रभारी अंबिकापुर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

-

(दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के अंतर्गत दांडिक अपील)

-

उपस्थित :- श्री जे.एस.बड़ाईक, अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी।

श्री राकेश कुमार झा, उप शासकीय अधिवक्ता वास्ते राज्य/उत्तरवादी।

निर्णय

(02 फ़रवरी, 2010 को पारित)

न्यायालय का निर्णय न्यायाधीश टी.पी. शर्मा द्वारा प्रदान किया गया :-

1. वर्तमान अपील में दिनांक 05.05.2024 को सत्र न्यायाधीश, सरगुजा (अंबिकापुर) द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 41/2003 में पारित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध चुनौती दी गई है, जिसके तहत माननीय सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी को अपने पति सरजू, नन्द शांति बाई, सास इंजोरिया तथा ससुर नानक @नानका की हत्या करने हेतु उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्धि किया है, एवं अपीलार्थी को प्रत्येक दोषसिद्धि के लिए आजीवन कारावास से दंडित किया गया तथा ₹2,000/- का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया गया। व्यतिक्रम की दशा में अपीलार्थी को अतिरिक्त 3 माह का साधारण कारावास भुगतने का आदेश भी पारित किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. निर्णय इस आधार पर आक्षेपित किया गया है, कि ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को पूर्वकथित अनुसार दोषसिद्ध कर दंडित किया, जो विधिक दृष्टि से अवैधानिक है।

3. अभियोजन का संक्षिप्त कथानक इस प्रकार है कि वर्तमान अपीलार्थी, मृतक सरजू की पत्नी, मृतका शांति बाई की भाभी, मृतका इन्जोरिया तथा मृतक ननका @ननवा की बहू थी। अपीलार्थी अपने पति, सास एवं ससुर के साथ

निवास कर रही थी। दिनांक 21.10.2002 के दुर्भाग्यपूर्ण दिवस पर अपीलार्थी के ग्राम बाटवाही, जिला अंबिकापुर स्थित निवास पर अपीलार्थी की नन्द भी ग्राम बाटवाही, जिला अंबिकापुर स्थित घर में उपस्थित थी। अपीलार्थी के अपने पति के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं थे तथा मृतक व्यक्ति उसे प्रताड़ित/पीटते थे। घटना के दिन, अपीलार्थी ने कथित रूप से शराब में डेमाक्रान नामक विष मिलाकर मृतक सरजू, शांति बाई, इन्जोरिया तथा ननका @ननवा को दिया। विषयुक्त शराब पीने के पश्चात सभी व्यक्ति अचेत हो गए। जमुना राम (अ.सा.-7) ने अचेत अवस्था में सरजू, इन्जोरिया तथा शांति को जिला अस्पताल, अंबिकापुर पहुंचाया। दिनांक 21.10.2002 को घायल इन्जोरिया एवं सरजू की मृत्यु हो गई। इस संबंध में जमुना राम द्वारा *मर्ग सूचना* प्रदर्श पी/11 के तहत दर्ज कराई गई। शांति बाई की भी अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। राधेश्याम द्वारा पुलिस को सूचना देने पर मर्ग सूचना प्रदर्श पी/12 दर्ज किया गया। ननका की मृत्यु की सूचना भी जमुना राम (अ.सा.-7) द्वारा प्रदर्श पी/10 में दी गई। अन्वेषण अधिकारी ने तत्पश्चात घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा गवाहों को प्रदर्श पी/1 एवं पी/2 के तहत तलब कर मृतक सरजू, शांति बाई तथा इन्जोरिया के शवों का पंचनामा प्रदर्श पी-3 से पी-5 तक तैयार किया। अन्वेषण अधिकारी ने गवाहों की तलब प्रदर्श पी-14 के पश्चात मृतक ननका के शव का पंचनामा प्रदर्श पी-15 तैयार किया। घटनास्थल का नक्शा पटवारी द्वारा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रदर्श पी/6 एवं पी/13 में तैयार किया गया। मृतक ननका का शव-परीक्षण हेतु जिला अस्पताल अंबिकापुर प्रदर्श पी/16 के माध्यम से भेजा गया। डॉ. जे.के. भुतानी (अ.सा.-10) द्वारा प्रदर्श पी/29 के तहत ननका का शव परीक्षण कर मृत्यु का कारण श्वासावरोध बताया गया तथा विसरा सुरक्षित रखा गया। मृतका इन्जोरिया का शव भी प्रदर्श पी/-26 के तहत शव-परीक्षण हेतु भेजा गया। डॉ. भुतानी (अ.सा.-10) ने प्रदर्श पी/26 में मृत्यु का कारण श्वासावरोध बताया व विसरा सुरक्षित रखा गया। मृतका शांति बाई का शव प्रदर्श पी/27 के तहत शव-परीक्षण हेतु भेजा गया तथा प्रदर्श पी/28 में मृत्यु का कारण श्वासावरोध बताया गया। मृतक सरजू का शव प्रदर्श पी/30 के तहत शव परीक्षण हेतु भेजा गया तथा प्रदर्श पी/31 में मृत्यु का कारण श्वासावरोध ही पाया गया। अन्वेषण के दौरान अपीलार्थी को हिरासत में लिया गया। उसने डेमाक्रान की बोतल के संबंध में प्रकटीकरण का बयान प्रदर्श पी-8 में दिया एवं उसे पेश किया। उसे मिट्टी में से लेने के पश्चात, उक्त को अपीलार्थी से प्रदर्श पी/9 में बरामद की गई। एक मिट्टी का जलपात्र, जो शराब रखने में प्रयुक्त था, तथा दो शराब की बोतलें प्रदर्श पी/17 में अटारू से जब्त की गईं। कुछ गिलास एवं शराब से भरी बोतलें घटनास्थल से प्रदर्श पी/18 में जब्त की गईं। परिरक्षी के नमूने प्रदर्श पी/19 में जब्त किए गए। अंततः दिनांक 20.10.2002 को प्रदर्श पी/21 के माध्यम से प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज की गई। जब्त वस्तुएँ, आंत तथा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

डेमाक्रान की बोतल प्रदर्श पी/24 में रासायनिक परीक्षण हेतु भेजी गईं। प्रदर्श पी/25 में अटारू से जब्त शराब में इथाइल एवं मिथाइल अल्कोहल की उपस्थिति की पुष्टि हुई। प्रदर्श पी/32 में रासायनिक परीक्षण से मृतक सरजू, शांति बाई, इन्जोरिया, ननका के आंत तथा अपीलार्थी के कथित खुलासा बयान से बरामद प्लास्टिक बोतल में डेमाक्रान कीटनाशक (ऑर्गनों प्रॉस्पेरस) की उपस्थिति पाई गई।

4. साक्षियों के कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे आगे 'संहिता' कहा जाएगा) की धारा 161 के अंतर्गत अभिलिखित किए गए। अन्वेषण पूर्ण होने पर आरोपपत्र मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अंबिकापुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने मामले को सत्र न्यायालय, अंबिकापुर को उपार्पित किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त/अपीलार्थी के अपराध को सिद्ध करने हेतु कुल 13 साक्षियों का परीक्षण किया। अभियुक्त/अपीलार्थी का कथन भी संहिता की धारा 313 के अंतर्गत दर्ज किया गया, जिसमें उसने अपने विरुद्ध प्रस्तुत परिस्थितियों का खंडन करते हुए स्वयं को निर्दोष बताया तथा अपराध में अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को असत्य एवं मनगढ़ंत बताया।

6. सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात, विद्वान सत्र न्यायाधीश, अंबिकापुर द्वारा उपर्युक्तानुसार अपीलार्थी को दोषसिद्ध कर दंडित किया गया।

7. हमने अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री जे.एस.बड़ाईक तथा राज्य की ओर से उप शासकीय अधिवक्ता श्री राकेश कुमार झा के तर्कों को सुना तथा आक्षेपित निर्णय एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया।

8. पीलार्थी के अधिवक्ता ने आवेगपूर्ण तर्क प्रस्तुत किया कि यह कथित रूप से विषपान कराए जाने का मामला है तथा अभियोजन पर निम्नलिखित सिद्ध करने का दायित्व था—

(1) कि अपीलार्थी के पास शराब एवं विष, दोनों का आधिपत्य था,

(2) कि अपीलार्थी को शराब में विष मिलाने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध था,

(3) कि अपीलार्थी ने मृतकों को विषयुक्त शराब उपलब्ध कराई तथा मृतकों ने वही शराब सेवन की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

परंतु वर्तमान प्रकरण में अभियोजन उपरोक्त परिस्थितियों को सिद्ध करने में पूर्णतया विफल रहा है, जो इस निष्कर्ष तक पहुँचने हेतु आवश्यक थीं कि अपीलार्थी ही वह व्यक्ति थी जिसने विष पिलाया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी कथन है कि दोषसिद्धि तथाकथित न्यायिकेतर अपराध-स्वीकृति पर आधारित है, जो कि अविश्वसनीय है एवं भरोसा उत्पन्न नहीं करती।

9. दूसरी ओर, राज्य के अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि दोषसिद्धि, अपीलार्थी द्वारा विभिन्न गवाहों के समक्ष किए गए

न्यायिकेतर स्वीकृति पर आधारित है, जिसे घटना के दो दिनों के भीतर अपीलार्थी के प्रकटीकरण पर प्राप्त विष की बरामदगी से संपुष्ट किया गया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर्याप्त हैं यह निष्कर्ष निकालने हेतु कि अपीलार्थी ही वह व्यक्ति थी जिसने मृतकों को विष दिया।

10. पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने हेतु, हमने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत समस्त साक्ष्य एवं सामग्री का परीक्षण किया है। वर्तमान प्रकरण में मृतक सरजू, शांति बाई, इन्जोरिया तथा ननका की मृत्यु विषप्रयोग के कारण अप्राकृतिक मृत्यु के रूप में हुई—यह तथ्य न केवल मूल रूप से विवादित नहीं है, बल्कि अभियोजन साक्ष्यों से भी पुष्ट होता है। विशेष रूप से, डॉ. जे.के. भुतानी (अ.सा.-10) के बयान, तथा शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श पी//26, पी /28, पी /29 एवं पी/31 सहित चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी /32 से यह स्पष्ट होता है कि उपरोक्त मृतकों के आंत में डेमाक्रान कीटनाशक (ऑर्गेनो-प्रॉस्पेरस) पाया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. जहाँ तक अभियुक्त/अपीलार्थी की संलिप्तता का प्रश्न है, यह तथ्य विवादित नहीं है कि घटना के समय, जब मृतकों द्वारा शराब का सेवन किया गया, अपीलार्थी घटनास्थल पर उपस्थित थी। यह भी सुस्वीकृत है कि शराब मृतका शांति बाई द्वारा गंगापुरीहा के घर से लाई गई थी। शराब को प्रदर्श पी/17 के तहत जब्त किया गया तथा उसे रासायनिक परीक्षण हेतु भेजा गया। रिपोर्ट प्रदर्श पी/25 से

यह प्रतिपादित है कि उक्त शराब में डेमाक्रान कीटनाशक (ऑर्गेनो-प्रॉस्पेरस) उपस्थित नहीं था। अपीलार्थी के विरुद्ध दण्डादेश मुख्यतः उन न्यायिकेतर स्वीकृतियों पर आधारित है, जिन्हें कथित रूप से गंगाराम (अ.सा.--1), वीरूराम (अ.सा.-3), बीरबल (अ.सा.-4) तथा त्रिवेणी (अ.सा.-6) के समक्ष किया गया था। गंगाराम (अ.सा.-1) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि अपीलार्थी ने प्रकटीकरण कथन किया कि शराब गंगापुरीहा के घर से लाई गई थी तथा उसी में डेमाक्रान मिलाया गया था; इसी कारण उसने स्वयं शराब नहीं पी, जबकि अन्य व्यक्तियों ने उसका सेवन किया। गंगाराम ने अपनी प्रतिपरीक्षण के कंडिका 7 में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि शराब शांति बाई ही गंगापुरीहा के घर से लाई थी। बीरूराम (अ.सा.-3) द्वारा साक्ष्य में यह कहा गया कि अपीलार्थी ने यह प्रकटीकरण किया कि उसने शराब में डेमाक्रान मिलाया था, जिससे चार व्यक्तियों की मृत्यु हुई। तथापि, प्रतिपरीक्षण में उसने यह कहा कि यह न्यायेतर स्वीकृति पुलिस के समक्ष की गई थी। इस प्रकार पुलिस के समक्ष की गई इस कथित स्वीकृति का कोई भी भाग साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं है तथा यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 25, 26 एवं 27 के अधीन निषिद्ध है।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. बिरबल (अ.सा.-4) ने अपने साक्ष्य में यह बयान दिया कि उसने मृतक ननका का शव देखा, तब उसने अपीलार्थी से पूछा कि उसकी मृत्यु कैसे हुई, जिस पर

अपीलार्थी ने बताया कि उसने मृतक ननका द्वारा सेवन की गई शराब में विष मिलाया था। त्रिवेणी (अ.सा.-6) ने अपने साक्ष्य में कहा कि डेमाक्रान अपीलार्थी के कब्जे में था तथा अपीलार्थी ने यह प्रकटीकरण बयान दिया कि उसने डेमाक्रान को उस शराब में मिलाया था जिसे चारों मृतकों ने पिया था और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। कंडिका 5 में उसने स्पष्ट रूप से कहा कि जब वे चारों शवों के पोस्टमॉर्टम के पश्चात् अंबिकापुर से लौटे, तब अपीलार्थी ने स्वयं बताया कि उसने सभी मृतकों के गिलासों में डेमाक्रान मिलाया था और प्रत्येक गिलास में एक-एक बूंद डाली थी। प्रतिपरीक्षण के कंडिका 9 में उसने कहा कि पुलिस गाँव आई और अपीलार्थी से पूछताछ की, परंतु अपीलार्थी ने स्वयं स्वीकार किया कि उसने डेमाक्रान मिलाया था।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

13. न्यायेतर स्वीकारोक्ति सामान्यतः कमजोर प्रकार का साक्ष्य माना जाता है, परंतु एक बार यह सिद्ध हो जाए कि वह सत्य एवं स्वेच्छा से की गई है, तो यह अभियुक्त के दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त हो सकती है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत न्यायेतर स्वीकारोक्ति के प्रमाणिक मूल्य पर विचार करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **बलदेव सिंह बनाम पंजाब राज्य**[1] में माना कि न्यायेतर स्वीकारोक्ति साधारणतः कमजोर साक्ष्य है तथा केवल उसी के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जाती जब तक कि वह महत्वपूर्ण तथ्यों से पुष्ट न हो।

[1] 2009 एआईआर सीसीडब्ल्यू 3730

14.इसी प्रश्न पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने **मोहम्मद आजाद @समीन बनाम पश्चि बंगाल राज्य**[2] में यह प्रतिपादित किया कि यदि न्यायेतर स्वीकारोक्ति स्वेच्छा से, सत्य एवं सामान्य मानसिक अवस्था में की गई हो, तो उस पर भरोसा किया जा सकता है और उसे अन्य साक्ष्यों की तरह सिद्ध करना होता है। उक्त निर्णय के कंडिका 22 में निम्नलिखित है:-

> "22. यदि न्यायेतर स्वीकारोक्ति स्वेच्छा से, सत्य एवं स्वस्थ मानसिक अवस्था में की गई हो, तो न्यायालय उस पर भरोसा कर सकता है। स्वीकारोक्ति को किसी अन्य तथ्य की भाँति सिद्ध करना आवश्यक है। स्वीकारोक्ति का मूल्य उस गवाह की सत्यनिष्ठा पर निर्भर करता है जिसके सामने स्वीकारोक्ति की गई हो। कोई भी न्यायालय यह पूर्वधारणा नहीं ले सकता कि न्यायेतर स्वीकारोक्ति कमजोर प्रकार का साक्ष्य है। इसका मूल्य परिस्थितियों, स्वीकारोक्ति के समय तथा ऐसे साक्ष्यों की विश्वसनीयता पर निर्भर करता है जो इसे प्रमाणित करते हैं। यदि साक्षी निष्पक्ष हो, अभियुक्त से कोई वैमनस्य न रखता हो तथा उसके विरुद्ध कोई ऐसा कारण न दिखता हो जिससे यह लगे कि उसने अभियुक्त पर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[2] 2009 एआईआर सीसीडब्ल्यू 752

झूठा आरोप लगाने का उद्देश्य रखा हो, और यदि गवाह द्वारा बताए गए शब्द स्पष्ट, निर्विवाद एवं अपराध की ओर सीधे संकेत करने वाले हों, तथा गवाह द्वारा कोई तथ्य छुपाया न गया हो, तो कठोर परीक्षण के उपरान्त ऐसी स्वीकारोक्ति को स्वीकार किया जा सकता है और यदि वह विश्वसनीयता की परीक्षा में सफल होता है, तो दोषसिद्धि का आधार भी बन सकता है।

15. उक्त प्रश्न पर विचार करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **पंजाब राज्य बनाम हरजागदेव सिंह**[3] के प्रकरण में यह प्रतिपादित किया है कि प्रत्येक प्रलोभन, धमकी या वचन से स्वीकारोक्ति स्वतः निरस्त नहीं हो जाती। सामान्यतः न्यायेतर स्वीकृति साक्ष्य का दुर्बल प्रकार माना जाता है तथा पर्याप्त स्वतंत्र पुष्टिकरण के बिना उस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए।

16. वर्तमान प्रकरण में, गंगाराम (अ.सा.-1) ने अपने कथन में केवल इतना कहा है कि अपीलार्थी ने शराब नहीं पी क्योंकि शराब में डेमाक्रान मिलाया गया था। बीरू राम (अ.सा.-3) ने अपने कथन के कंडिका 4 में स्पष्ट कहा कि अपीलार्थी ने न्यायेतर स्वीकृति पुलिस के समक्ष की थी, न कि उसके समक्ष, अतः उसका कथन सहायक नहीं है। बिरबल (अ.सा.-4) ने अपने कथन में कहा कि

[3] 2009 एआईआर एससीडब्ल्यू 4133

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अपीलार्थी ने प्रकटीकरण बयान दिया कि उसने शराब में ज़हर मिलाया था तथा विषयुक्त शराब पीने से ननका की मृत्यु हुई। त्रिवेणी (अ.सा.-6) के कथन से यह परिलक्षित होता है कि जब वे सभी मृतकों का शव परीक्षण कर लौटे, तब अपीलार्थी ने उसके समक्ष न्यायेतर स्वीकृति की कि उसने शराब में डेमाक्रान मिलाया था; किन्तु प्रतिपरीक्षण के कंडिका 9 में उसने स्वीकार किया कि उसने पुलिस को यह कहा था कि अपीलार्थी ने प्रत्येक गिलास में एक-एक बूँद डेमाक्रान मिलाने की बात स्वीकार की थी, परंतु यह तथ्य उसके धारा 161 दं.प्र.सं. के कथन प्रदर्श डी/1 में नहीं मिलता। उसने यह भी कहा कि अपीलार्थी भी प्रायः शराब पीती थी, परंतु घटना के दिन उसने शराब नहीं पी। यह चार व्यक्तियों की मृत्यु का मामला है, जो डेमाक्रान विष के सेवन के परिणामस्वरूप हुई। चारों मृतकों के आंत तथा जेरिकैन में पाई गई शराब में डेमाक्रान की उपस्थिति राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर की रिपोर्ट प्रदर्श पी/32 से प्रमाणित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. अभियोजन ने यह भी साक्ष्य प्रस्तुत किया कि शेष डेमाक्रान तथा उसकी बोतल अपीलार्थी के कथित खुलासा बयान के आधार पर बरामद की गई। उपनिरीक्षक वी.एन. सिंह (अ.सा.-9) ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया की 22.10.2002 को अपीलार्थी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने प्रकटीकरण बयान दिया कि उसने डेमाक्रान की बोतल केले के पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा

दी थी, जिसे प्रदर्श पी/8 में दर्ज किया गया। वह साक्ष्यों तथा अपीलार्थी के साथ स्थल पर गए, जहाँ अपीलार्थी ने मिट्टी खोदकर डेमाक्रान की बोतल निकाली, जिसमें कुछ द्रव मौजूद था, जिसे प्रदर्श पी/9 में ज़ब्त किया गया। जमुना (अ.सा.-7) ने भी अपने कथन में प्रकटीकरण बयान एवं बरामदगी की पुष्टि की है। बचाव पक्ष ने बिरबल (अ.सा.-4) एवं जमुना (अ.सा.-7) से विस्तृत में प्रतिपरीक्षण कीया, परंतु उनकी गवाही में कोई ऐसी बात नहीं उभारी जो उनके कथन को अविश्वसनीय बनाती हो। दोनों गवाहों ने स्वीकार किया कि जिस स्थान से बोतल बरामद की गई, वह खुली रसोई-बाड़ी (किचन गार्डन) थी और गाँवों में कीटनाशक प्रायः घरों में मिल जाते हैं। साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि बोतल केले के पेड़ के नीचे खुली रसोई-बाड़ी में से अपीलार्थी द्वारा ही निकाली गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए यह आवश्यक है कि अभियोजन यह सिद्ध करे कि अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा किया गया प्रकटीकरण ऐसा तथ्य था जो अन्वेषण अधिकारी के पूर्व ज्ञान में नहीं था, अथवा वह तथ्य स्वभावतः ऐसा था जो केवल अभियुक्त की ही जानकारी में था और अन्य किसी व्यक्ति के ज्ञान में नहीं था, जिनसे जाँच अधिकारी ऐसी सूचना प्राप्त कर सकता हो।

19.धारा 27, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत अभियुक्त द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयान के साक्ष्यमूल्य पर विचार करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **करण सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**[4] में यह प्रतिपादित किया है कि अभियोजन को यह सिद्ध करना आवश्यक है कि प्रकटीकरण बयान में वर्णित तथ्य पुलिस के पूर्वज्ञान में नहीं थे और वे तथ्य प्रथम बार अभियुक्त के प्रकटीकरण बयान के परिणामस्वरूप ही प्राप्त हुए।

20.उक्त प्रश्न पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने **थिम्मा बनाम मैसूर राज्य**[5] में यह अभिमत व्यक्त किया कि यदि कोई तथ्य पहले ही किसी अन्य स्त्रोत से ज्ञात हो चुका हो, तो बाद में अभियुक्त से प्राप्त जानकारी के आधार पर वह **"**नवीन खोज**"** नहीं मानी जा सकती। उक्त निर्णय का प्रासंगिक कंडिका इस प्रकार है:

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "10..... एक बार जब कोई तथ्य किसी अन्य स्त्रोत से ज्ञात हो जाता है, तब अभियुक्त से प्राप्त होने वाली कोई भी सूचना नई खोज नहीं मानी जा सकती, भले ही वह सूचना संबंधित ही क्यों न हो। न्यायालयों को चाहिए कि वे जाँच अधिकारियों की कौशलपूर्ण या चतुराईपूर्ण कार्यप्रणाली से सावधान रहें ताकि भारतीय साक्ष्य

[4] (1973) 3 एससीसी 662

[5] एआईआर 1971 एससी 1871

अधिनियम की धारा 25 एवं 26 द्वारा प्रदत्त सुरक्षा मात्र केस डायरी के अभिलेखों में की गई हेराफेरी से क्षीण न होने पाए।"

21. इसी प्रश्न पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने **जाफर हुसैन दास्तगीर बनाम महाराष्ट्र राज्य**[6] के मामले में यह भी स्पष्ट किया कि यदि तथ्य पहले से ही पुलिस के ज्ञान में हैं, तो अभियुक्त का प्रकटीकरण बयान धारा 27, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार ग्राह्य नहीं माना जाएगा।

22. उक्त प्रश्न, कि प्रकट किए गए तथ्य के आधार पर की गई बरामदगी किस स्थान से हुई है, का परीक्षण करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मारुति रामा नाइक बनाम महाराष्ट्र राज्य**[7] प्रकरण में यह प्रतिपादित किया है कि यदि किसी वस्तु की बरामदगी ऐसे स्थान से की गई हो जो अन्य व्यक्तियों द्वारा सरलता से पहुँच योग्य हो, और वह भी घटना के लगभग 9 दिन पश्चात, तो ऐसी बरामदगी उचित एवं स्वीकार्य पुष्टिकरण के अभाव में दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकती। उक्त निर्णय का प्रासंगिक कंडिका निम्नलिखित है:

> "7. अभियोजन द्वारा इन दोनों अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने हेतु जिस अन्य साक्ष्य पर भरोसा किया गया है, वह बरामदगी का है, जबकि अभियोजन के स्वयं के कथनानुसार यह बरामदगी ऐसे स्थान से हुई जो अपीलार्थियों के विशेष कब्जे में

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

[6] एआईआर 1971 एससी 1934

[7] एआईआर 2003 एससी 3884

नहीं था, तथा जहाँ अन्य लोगों की भी सरल पहुँच थी, और साथ ही यह भी तथ्य है कि बरामदगी घटना के लगभग 9 दिन बाद की गई। हमारे विचार में यह साक्ष्य भी बिना किसी अतिरिक्त स्वीकार्य पुष्टिकरण के इन अपीलार्थियों को दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अतः हमारा मत है कि ये अपीलें सफल होनी चाहिए।"

23. वर्तमान प्रकरण में, यह तथ्य निर्विवाद है कि रसोई बाड़ी एक खुला स्थान था, किन्तु डेमाक्रान की बोतल खुले में नहीं पड़ी थी, बल्कि उसे छिपाकर मिट्टी में दबा दिया गया था, और अपीलार्थी द्वारा किए गए प्रकटीकरण बयान के आधार पर मिट्टी से निकालकर उसे बरामद किया गया। यह स्पष्ट संकेत है कि डेमाक्रान की बोतल जानबूझकर मिट्टी के भीतर छिपाई गई थी तथा उसकी बरामदगी केवल अपीलार्थी द्वारा किए गए प्रकटीकरण बयान के फलस्वरूप ही संभव हुई। बचाव पक्ष द्वारा ऐसा कोई सुझाव अथवा सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई जिससे यह सिद्ध होता हो कि अपीलार्थी द्वारा प्रकटीकरण बयान दिए जाने से पूर्व पुलिस अथवा किसी अन्य व्यक्ति को उक्त बोतल के छिपे होने का ज्ञान था। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी के खुलासा बयान के आधार पर छिपे हुए स्थान से डेमाक्रान की बोतल की बरामदगी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अनुरूप विधि सम्मत एवं स्वीकार्य मानी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24.अपीलार्थी द्वारा किए गए प्रकटीकरण बयान के आधार पर डेमाक्रान की बोतल की बरामदगी दो संभावित व्याख्याओं की ओर संकेत करती है—

(1) यह कि बोतल अपीलार्थी ने ही छिपाई थी, तथा

(2) यह कि अपीलार्थी को उस स्थान का ज्ञान था जहाँ बोतल छिपाई गई थी।

किन्तु मात्र इस बरामदगी के आधार पर यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि अपीलार्थी ही अपराध की जनक अथवा कर्ता थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25.सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **पोहल्या मोत्या वालवी बनाम महाराष्ट्र राज्य**[8] प्रकरण में यह प्रतिपादित किया गया है कि जहाँ आरोपी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर अपराध में प्रयुक्त हथियार बरामद होता है, वहाँ भी दो व्याख्याएँ संभव हैं—(1) आरोपी ने स्वयं हथियार छिपाया हो, अथवा (2) आरोपी को केवल उस स्थान की जानकारी हो जहाँ हथियार छिपाया गया था। अतः ऐसी सूचना मात्र के आधार पर आरोपी को हत्या के अपराध का दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

26.जब्त की गई डेमाक्रान की बोतल, जिसमें कुछ द्रव पाया गया था, को रासायनिक परीक्षण हेतु भेजा गया तथा फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, रायपुर ने अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी/32 में उसमें डेमाक्रान कीटनाशक (ऑर्गेनोफॉस्फोरस) की उपस्थिति की पुष्टि की। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने उपरोक्त चार मृत व्यक्तियों

[8] एआईआर 1979 एससी 1949

के आंत में भी डेमाक्रान तथा इथाइल अल्कोहल की उपस्थिति की पुष्टि की। उपर्युक्त रिपोर्ट के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बरामद बोतल में डेमाक्रान कीटनाशक (ऑर्गेनोफॉस्फोरस) मौजूद था तथा वही तत्व मृतकों के आंत में भी पाया गया।

27.अपीलार्थी द्वारा किए गए न्यायेतर स्वीकारोक्ति के संबंध में, बिरबल (अ.सा.-4) एवं त्रिवेणी (अ.सा.-6) के कथनों में वर्णित स्वीकारोक्ति उनके साक्ष्य में अविवादित है तथा आगे यह भी त्रिवेणी के कथन से पुष्ट होती है कि अपीलार्थी को शराब पीने की आदत थी, किन्तु घटना वाले दिन उसने शराब नहीं पी, जिसका समर्थन गंगाराम (अ.सा.-1) के साक्ष्य से भी मिलता है। बिरबल (अ.सा.-4) के कथन के कंडिका 3 एवं 4 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी ने यह कहते हुए शराब पीने से इंकार कर दिया था कि शराब में डेमाक्रान मिलाया गया था।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

28. विष देकर हत्या करने के अपराध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मोहन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**[9] में अभियुक्त/अपीलार्थी के दोष सिद्ध करने हेतु निम्नलिखित तीन अवयव आवश्यक बताए हैं:–

(1) क्या संबंधित व्यक्ति की मृत्यु प्रश्नागत विष से हुई?

(2) क्या अभियुक्त विष के कब्जे में था?

[9] एआईआर 1960 एससी 659

(3) क्या अभियुक्त को मृतक को प्रश्नागत विष देने का अवसर प्राप्त था?

उक्त निर्णय के कंडिका 8 में निम्न प्रकार कहा गया है:–

8. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने सर्वप्रथम यह तर्क किया है कि इस न्यायालय के निर्णय धर्मबीर सिंह बनाम पंजाब राज्य, दांडिक अपील क्र. 98/1958 (एससी) के आलोक में दोषसिद्धि विधिसम्मत नहीं है। यह भी एक विषप्रयोग द्वारा हत्या का मामला था। इस न्यायदृष्टांत में यह कहा गया था:

"ऐसे सभी मामलों में तीन प्रश्न उत्पन्न होते हैं, अर्थात् (प्रथम) क्या मृतक की मृत्यु उक्त विष से हुई? (द्वितीय) क्या अभियुक्त के पास उक्त विष का आधिपत्य था? और (तृतीय) क्या अभियुक्त को मृतक को उक्त विष देने का अवसर उपलब्ध था? अतः, उद्देश्य के साथ-साथ, अभियोजन को यह भी सिद्ध करना आवश्यक है कि मृतक की मृत्यु उसी विशिष्ट विष से हुई है जिसका दिया जाना कहा गया है, कि अभियुक्त उक्त विष के आधिपत्य में था, तथा यह कि उसे मृतक को उस विष दिए जाने का अवसर प्राप्त था....."

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

29.इसी प्रश्न पर विचार करते हुए, [1]सर्वोच्च न्यायालय ने **शरद बिर्धिचन्द सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य**[10] में यह प्रतिपादित किया कि विष द्वारा हत्या के मामलों में न्यायालय को साक्ष्यों का अत्यंत सावधानीपूर्वक परीक्षण करना चाहिए तथा उन चार महत्वपूर्ण परिस्थितियों का निर्धारण करना चाहिए जो अकेले ही दोषसिद्धि को न्यायोचित ठहरा सकती हैं:

(1) अभियुक्त द्वारा मृतक को विष देने हेतु स्पष्ट उद्देश्य होना,

(2) यह कि मृतक की मृत्यु उस विष से हुई जिसे दिए जाने का आरोप है,

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(3) यह कि अभियुक्त के पास वह विष उपलब्ध था,

(4) यह कि अभियुक्त को मृतक को विष देने का अवसर उपलब्ध था।

30. वर्तमान मामले में, तृवेणी (अ.सा.-6) ने अपने बयान के कंडिका 3 में विशेष रूप से कहा है कि वर्षा ऋतु के दौरान वह और सरजू—जो कि अपीलार्थी का पति था—ने डेमाक्रान खरीदा था, जिसे सरजू अर्थात् अपीलार्थी के पति के घर में रखा गया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि डेमाक्रान अपीलार्थी के घर में रखा हुआ था। अपीलार्थी ने बीरबल (अ.सा.-4) एवं तृवेणी (अ.सा.-6) के समक्ष अतिरिक्त न्यायेतर स्वीकारोक्ति की है कि उसने शराब में डेमाक्रान मिलाया था, जिसे बाद में मृतक व्यक्तियों ने सेवन किया। अपीलार्थी ने डेमाक्रान की बोतल

[10] एआईआर 1984 एससी 1622

के संबंध में खुलासा बयान भी दिया, जो कि गुप्त रूप से छिपाई हुई तथा मिट्टी में दबाई हुई पाई गई। अपीलार्थी ने यह कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि बोतल को मिट्टी में किसने दबाया था तथा यह तथ्य उसे कैसे ज्ञात हुआ कि बोतल मिट्टी में दबाई गई है। अपीलकर्ता, जो कि शराब पीने की अभ्यासी है, उसने घटना के दिन शराब नहीं पी, जबकि उसके पति, ससुर, सास तथा उसकी देवरानी—अर्थात् उसकी दोनों स्त्री संबंधियों—ने शराब पी। यदि इन सभी परिस्थितियों को एकसाथ विचार किया जाए, तो केवल एक ही अपरिहार्य तथा विधिक रूप से सम्भाव्य निष्कर्ष निकलता है कि अपीलार्थी ही वह व्यक्ति थी जिसने यह अपराध किया तथा उसने मृतकों को विष देने का अवसर और सामर्थ्य दोनों प्राप्त होने के कारण विष पिलाया और परिणामस्वरूप उक्त चारों व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

31. वर्तमान प्रकरण में, अपीलार्थी का दोषसिद्धि अपीलार्थी के प्रकटीकरण कथन के आधार पर हुए न्यायेतर स्वीकारोक्ति तथा विष की बरामदगी पर आधारित है। अपीलार्थी के विरुद्ध सिद्ध परिस्थितियाँ इस निष्कर्ष पर पहुँचने हेतु पर्याप्त हैं कि अपीलार्थी ने ही विष दिया था और उसी विष देने के परिणामस्वरूप सरजू, श्रीमती शांति बाई, श्रीमती इन्जोरिया तथा ननका @ ननवा की मृत्यु हुई।

32. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के पश्चात, माननीय सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत

दोषसिद्ध किया है तथा आजीवन कारावास एवं ₹2,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। दोषसिद्धि विश्वसनीय, निर्णायक एवं विधिसम्मत साक्ष्यों पर आधारित है, जो विधि की दृष्टि से स्थाई है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के अनुसार निर्धारित न्यूनतम दण्ड ही प्रदान किया है।

33. उपलब्ध साक्ष्यों के सूक्ष्म परीक्षण पर, आक्षेपित निर्णय में किसी प्रकार की अवैधता या त्रुटि परिलक्षित नहीं होती। अपील निराधार होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है तथा परिणामस्वरूप, इसे खारिज किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/- **सही/-**

टी.पी.शर्मा **आर.एल.झंवर**

न्यायाधीश **न्यायाधीश**

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By .....Shreyas Nayak (Advocate).....